न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2022/30

1. कालूराम पुत्र श्री घीसा, जाति कुम्हार, निवासी रेनवाल, तहसील रेनवाल, जिला जयपुर।

––अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार ज़रिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल, तहसील किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर।
2. माफि मंदिर श्री गोपीनाथ जी रेनवाल जरिये पुजारी

उपस्थितिः–

––रेस्पोडेन्ट्स

1. श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से
2. श्री राकेश पारीक एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 21.09.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम रेनावल किशनगढ जिला जयपुर के जागीरदारी के समय से जागीर गांव था राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 236, 241/2 धारा 9 के तहत उक्त खसरा नम्बर की भूमि केशा वल्द सरूपा जाति कुम्हार के नाम खातेदारी दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू प्रबन्धन विभाग की खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट अंकित है जमाबन्दी जो कि कृषक का राईट ऑफ रिकार्ड सम्वत् 2011 से 2029 में खसरा नम्बर 239, 241/2 में केशा वल्द सरूपा जाति कुम्हार के खातेदार काश्तकार दर्ज है इस प्रकार इन्हे आनुवांशिक एवं पूर्ण अन्तरण के कानूनी अधिकार प्राप्त थे जिन्हे बिना सुनवाई एवं विधिक प्रक्रिया के विलोपित नही किया जा सकता है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उपरोक्त खातेदार कृषको/वारिसान के केशा वल्द सरूपा जाति कुम्हार का फौती नामान्तरकरण के आधार पर अपीलान्ट के पिता के नाम नामान्तरकरण खोला गया था जिसका नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम खुलकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका था तब से अपीलान्ट के पिता का नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा निरन्तर काबिज काश्त है जिनका इन्द्राज खाता संख्या 15 एवं खसरा परिवर्तन होकर केवल खसरा नम्बर 239/1, 241/2/2 जमाबंदी सम्वत् 2059–2062 में भी अपीलार्थी के पिता घीसा पुत्र केशा के नाम बतौर

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलान्ट की बिना सुनवाई किये एवं बिना विधिक आदेश खसरा नम्बर 239/1, 241/2/2 का दिनांक 02.08.2004 को नामान्तरकरण संख्या 2564 से राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 का हवाला देकर मंदिर माफी श्री गोपीनाथ के नाम अंकन कर दिया जबकि यह भूमि कभी भी माफी मंदिर के कब्जे व खुदकाश्त की नही रही किन्तु लिपिकीय भूल से राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि को माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी का अपीलान्ट की उपरोक्त भूमि से कभी कोई सम्बन्ध नही रहा है जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक होने से अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक तथ्यों को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विपरित होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थी को जानकारी नही थी। दिनांक 31.12.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी की गई तथा अपीलार्थी को अपीलाधीन भूमि से बेदखल करने हेतु कहा जिस पर अपीलार्थी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम बताया गया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 25.05.2016 को निर्णय हो चुका है जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 04.01.202 को नकल हेतु आवेदन किया जिसकी नकल तैयार की जाकर दिनांक 04.01.2022 के अपीलार्थी को प्राप्त होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसे गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा मामले में अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार निहित है इसलिये मामला गंभीर प्रकृति का है और ऐसे गंभीर मामलों में मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाये जाने की विधि मंशा है। अतः उपरोक्त तथ्यो के मद्देनजर अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 खारिज फरमाया जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना धारा 136 स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 239/1, 1366/241 वाके ग्राम रेनवाल की आराजी की खातेदारी लिपिकीय भूल से माफी मंदिर श्री गोपीनाथ जी के नाम अंकित कर दी गई है को दुरूस्त किया जाकर अपीलार्थी के नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने लगभग 5 वर्ष 8 माह की देरी से प्रस्तुत की गई है जिसका अपीलान्ट ने अपील व धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील देरी से प्रस्तुत करने का न्यायालय श्रीमान् के समक्ष युक्तियुक्त, विधिक एवं सन्तोषजनक कारण दर्शित नही किया है जिससे अपीलान्ट की अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

P.T.O.

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि विलम्ब के सम्बन्ध में विधिवत एवं सन्तोषजनक कारण के अभाव में न्यायालय को मियाद कण्डोन कानूनी रूप से नही करना चाहिये इस संदर्भ में सर्वेच्चय न्यायालय व अन्य विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित किया गया है, उक्त न्यायिक दृष्टान्तों के तहत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र व मूल अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किये गये है मियाद बिन्दु पर खारिज करने का मुख्य उद्देश्य मियाद अधिनियम के प्रावधानों तहत ही विधिवत रूप से निर्णय करना है, मियाद अधिनियम कोई औपचारिकता का कानूनी नही है, विलम्ब को कण्डोन किये जाने के पर्याप्त कारण अपीलान्ट द्वारा दर्शित नही होने से अपील मियाद अधिनियम के प्रावधनों के तहत खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया है कि अपीलान्ट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी रहा है अपीलान्ट ने धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत मंदिर की करोड़ों रूपये की भूमि को हड़पने की गरज से प्रस्तुत करके अपने नाम खातेदारी कराने की कुचेष्टा की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है, उक्त आदेश की जानकारी प्रारम्भ से ही अपीलान्ट को रही है, अपीलान्ट का उक्त प्रार्थना में यह कथन करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी पूर्व में कभी भी अपीलान्ट को नही रही हो या अपने अधिवक्ता से लगभग 6 वर्ष से सम्पर्क नही किया गया हो, अपीलान्ट ने सद्भाविक रूप से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है जिस कारण न्यायालय अपीलान्ट के प्रति नरम रूख नही रख सकता चूँकि अपीलान्ट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है इसलिये अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावें तथा मंदिर की भूमि को सुरक्षित रखा जावें।

हमने पत्रावली का एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वयं के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्यक रूप से की जाकर अपीलार्थी के अधिवक्ता की मौजूदगी में अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.05.2016 पारित किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा असाधारण विलम्ब लगभग साढे पॉच वर्ष पश्चात् हस्तगत अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है तथा अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उक्त विलम्ब को कण्डोन हेतु संतोषजनक कारण प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज योग्य प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से अपील भी खारिज की जाती है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।